प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.08.2026

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.08.2026 को शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अभि0 के दौरान आरडीसी कट से कचहरी गाजियाबाद ओर जाने वाले रास्ते पर चैकिंग करने लगे कुछ देर बाद सामने से एक मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया । व्यक्ति को नजदीक आने पर रुकने का इशारा किया तो मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति ने अपनी मोटरसाईकिल को पीछे की तरफ मोडने का प्रयास किया तो राकेश शर्मा पुत्र राधेलाल नि0 सिरोधन थाना कपूरपुर जिला हापुड उम्र करीब 50 को आरडीसी कट चौकी कचहरी क्षेत्र कविनगर कमि0 गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त राकेश ने पूछताछ में बताया कि मैने यह मोटरसाइकिल बापूधाम से चोरी की थी । ग्राहक मिलने पर इनको में अपनी मजबूरी बताकर बेच देता हूं। आज भी मैं इसी प्रकार की घटना करने जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया ।

अभियुक्त का नाम पता-

1.राकेश शर्मा पुत्र राधेलाल नि0 सिरोधन थाना कपूरपुर जिला हापुड़ उम्र करीब 50

बरामदगी-

एक मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP14FP6772

आपराधिक इतिहास-

राकेश उपरोक्त के विरुद्ध कमि0 गाजियाबाद में चोरी-05, आर्म्स एक्ट-02 का मुकदमें पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी एवं घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रिंच बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 05.06.2026 को वादिया संगीता पुत्री श्री सुन्दर लाल मौर्य, निवासी 20 फुटा रोड, रेलवे फाटक, संभोली गाँव, नियर सम्राट पृथ्वीराज चौहान पब्लिक स्कूल, दिल्ली द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि प्लॉट नं. 29, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, ग्रीन हाईवे के सामने से उनकी स्कूटी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.08.2026 को समय करीब 03:20 बजे मुखबिर की सूचना पर 150 फुटा रोड, गेट नं. 3, शालीमार गार्डन के पास से अभियुक्त

दानिश को चोरी की गई स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रिंच भी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने करीब दो माह पूर्व हाईवे के पास स्थित एक सोसाइटी के सामने से उक्त स्कूटी चोरी की थी । अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह बंद मकानों एवं फ्लैटों की रेकी कर उनमें चोरी करता है तथा अपने कब्जे से बरामद लोहे की रिंच की सहायता से ताला एवं लॉक तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- दानिश पुत्र साहबुद्दीन, निवासी ईदगाह वाली गली, फरूकनगर, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 स्कूटी।
- 01 लोहे की रिंच।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के अंतर्गत स्कूटी चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 एडजस्टेबल पाइप रिंच एवं चोरी से संबंधित ₹4,380/- बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 12.07.2026 को वादी श्री गुरुचरण सिंह पुत्र स्व० श्री स्वर्ण सिंह, डीएलएफ, थाना शालीमार गार्डन, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात चोर द्वारा उनके मकान की खिड़की उखाड़कर घर में रखे ₹10,000/- नकद एवं एक इन्वर्टर चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर शौचालय कट, डीएलएफ, थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 एडजस्टेबल पाइप रिंच तथा वादी के घर से चोरी किए गए रुपयों में से ₹4,380/- बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बरामद मोटरसाइकिल को दिल्ली के थाना पटपड़गंज

इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि वे नशा करने के आदी हैं तथा बंद मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल कुछ दिन पूर्व थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली क्षेत्र से चोरी की थी। करीब 25 दिन पूर्व उन्होंने एडजस्टेबल पाइप रिंच की सहायता से डीएलएफ क्षेत्र स्थित एक फ्लैट की खिड़की तोड़कर उसमें रखे ₹10,000/- नकद एवं एक इन्वर्टर चोरी किया था। चोरी की धनराशि आपस में बांट ली थी, जिसमें से अधिकांश रुपये नशे में खर्च कर दिए तथा बरामद ₹4,380/- उसी चोरी की शेष धनराशि है। अभियुक्तों ने बताया कि वे आज भी चोरी की घटना कारित करने की फिराक में क्षेत्र में आए थे, तभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- अर्पित पुत्र भूरेलाल शर्मा, निवासी एफ ब्लॉक, शहीद नगर, थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्थायी पता- ग्राम धारमपुर, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर, उम्र करीब 30 वर्ष।
- मनोज उर्फ मोनू पुत्र लख्मी चन्द, निवासी ए-70, पंचशील कॉलोनी, शनि बाजार रोड, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस।
- 01 एडजस्टेबल पाइप रिंच।
- चोरी से संबंधित ₹4,380/- नकद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, पूर्वी दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
3. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस के अंतर्गत मकान में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.07.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पैसेफिक मॉल के पास बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी कि दिल्ली की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 03 व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर तीनों अभियुक्त मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं घेराबंदी करते हुए तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से मोटरसाइकिल के संबंध में कागजात मांगे गए, किन्तु वे कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सके। सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि बरामद मोटरसाइकिल उन्होंने करीब चार माह पूर्व दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र से चोरी की थी। बरामदगी के आधार पर थाना लिंक रोड पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि बरामद मोटरसाइकिल उन्होंने आपस में मिलकर दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र से चोरी की थी। चोरी की मोटरसाइकिल को वे किसी ग्राहक को बेचने के उद्देश्य से लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस टीम को देखकर घबरा गए और भागने का प्रयास किया। अभियुक्तों ने बताया कि पैसों की तंगी एवं कर्ज के कारण उन्होंने वाहन चोरी की घटनाएं करनी शुरू कर दी थीं तथा चोरी किए गए वाहनों को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अरबाज खान उर्फ मोटा पुत्र आजम खान, निवासी झुग्गी-झोपड़ी, पानी की टंकी के नीचे, सेक्टर-04, वैशाली, थाना कौशाम्बी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. सुल्तान पुत्र इशराफिल, निवासी ईदगाह के सामने पार्षद के मकान में किरायेदार, ग्राम महाराजपुर, थाना लिंक रोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।
3. नेक मोहम्मद पुत्र यासीन, निवासी पंक्चर की दुकान, वैशाली मेट्रो गेट नं. 01 के पास, थाना कौशाम्बी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम भटौना, थाना गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- अभियुक्त नेक मोहम्मद के विरुद्ध थाना मसूरी, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 गैस सिलेंडर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-दिनांक 28.03.2026 को वादी मोहित कुमार पुत्र स्व० श्री सुरेशचन्द, निवासी एक्सएक्सएल अपार्टमेंट, न्यायखण्ड-3, इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना टीलामोड़ पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि उनकी एचपी गैस एजेंसी के गोदाम, जो राजपुर भनेड़ा मार्ग पर स्थित है, की दीवार तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 06 भरे हुए गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी एवं चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 02.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर महमदपुर पुलिया के पास नाले के किनारे कच्चे रास्ते से अभियुक्त सुधीर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 01 गैस सिलेंडर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने अपने साथी आशु एवं राजूपाल के साथ मिलकर दिनांक 27/28 मार्च 2026 की रात्रि में ग्राम राजपुर स्थित एचपी गैस एजेंसी के गोदाम की दीवार तोड़कर 06 गैस सिलेंडर चोरी किए थे। चोरी किए गए सिलेंडरों में से 01 गैस सिलेंडर उसने महमदपुर पुलिया के पास नाले के किनारे झाड़ियों में छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। शेष गैस सिलेंडर उसके साथी आशु एवं राजूपाल के कब्जे में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं शेष माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुधीर पुत्र गजराज, निवासी ग्राम सिरौली, थाना लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी का 01 गैस सिलेंडर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. अभियुक्त सुधीर के विरुद्ध थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।
2. अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है।
3. उक्त अभियोग सहित अभियुक्त के विरुद्ध कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं।
4. अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रैस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार एवं 02 मोबाईल फोन व 8,800/- रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01/02.08.2026 की रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि फ्लैट नं0 648 ए न्यायखण्ड 3 इन्दिरापुरम में भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट नं0 648 ए न्यायखण्ड 3 थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद में चल रहे अनैतिक दैह व्यापार में सम्मलित 03 अभियुक्त 1. आरिफ पुत्र रियाजुद्दीन निवासी गोशिया मस्जिद के पास खोड़ा कालोनी खोडा थाना खोड़ा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष 2. अभियुक्त सगुन गुप्ता उर्फ राजन पुत्र विजय गुप्ता निवासी परशुरामपुरी कस्बा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 26 वर्ष 3. अभियुक्त अजय गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता निवासी मकान नं0 648 ए न्यायखण्ड -3 थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष व 01 अभियुक्ता अमिता पत्नी अजयगुप्ता निवासी मकान नं0 648 ए न्यायखण्ड -3 थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त के कब्जे से 02 मोबाईल फोन व 8,800/- रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण तथा अभियुक्ता के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तो द्वारा मोबाईल फोन व्हाट्सएप्प से अज्ञात व्यक्तियों को देह व्यापार के लिये महिला उपलब्ध करवाने के लिए पैसों की लेन देन तथा महिला की फोटो भेजते हैं तथा अनैतिक कमाई करने के लालच से महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, पीडित महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक दैह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आरिफ पुत्र रियाजुद्दीन निवासी गोशिया मस्जिद के पास खोड़ा कालोनी खोडा थाना खोड़ा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

2. सगुन गुप्ता उर्फ राजन पुत्र विजय गुप्ता निवासी परशुरामपुरी कस्बा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 26 वर्ष।

3. अजय गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता निवासी मकान नं0 648 ए न्यायखण्ड -3 थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

4.अमिता पत्नी अजयगुप्ता निवासी मकान नं0 648 ए न्यायखण्ड -3 थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 02 मोबाईल फोन व 8,800/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर अनैतिक देह व्यापार के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 मोटर साइकिल व एक नाजायज तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 01.08.2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखर्जी पार्क पास चौकी औधोगिक क्षेत्र से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल व एक नाजायज तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मैने मो0सा0 बम्हैटा से चोरी की है। पूछने पर बताया कि पकडे जाने के डर से मैने चैचिस नं0 घिस दिये है ईन्जन नम्बर पर वैल्ड करा दिया है जिसे मै बैचने के लिये जा रहा था कि पुलिस द्वारा पकड लिया गया। तमन्चा रखने का लाइसेंन्स तलब किया तो दिखाने में असमर्थ रहा।

अभियुक्त का नाम पता-

1. सागर कुमार पुत्र नरेश निवासी म0नं0 352 रजापुर डाक खाने के पास थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी-

1. 01 नजायज तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास-

- सागर कुमार उपरोक्त के विरुद्ध ,कमि0 गाजियाबाद में लूट-02,,आर्म्स एक्ट-01,एनडीपीएस -02, चोरी-01,मारपीट-02 मुकदमें पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, चोरी के 27 तार (ई- रिक्शा वायरिंग) बरामद।

दिनांक 01.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा कार्ट इण्डिया फैक्ट्री ट्रोनिका सिटी में ई- रिक्शा वायरिंग तार की चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. अरबाज पुत्र महरदीन निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद,

उम्र करीब 24 वर्ष 2. सूरज पुत्र अर्जुन शहानी निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया गया, चोरी के 27 तार (ई- रिक्शा वायरिंग) बरामद जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-305(A),317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों फैक्ट्री में ई- रिक्शा वायरिंग तार की चोरी करने के लिए आये थे । हमने 27 तार (ई- रिक्शा वायरिंग) को चोरी कर लिया था तथा चोरी किये सामान को ले जाने वाले थे तभी हमें फैक्ट्री के लोगों ने देख लिया और हम पकड़े गये ।

अभियुक्तों के नाम व पता-

1. अरबाज पुत्र महरदीन निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष ।
2. सूरज पुत्र अर्जुन शहानी निवासी बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी किये गये 27 तार (ई- रिक्शा वायरिंग) बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त अरबाज के विरूद्ध पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर बलवा का 01 अभियोग, एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, विस्फोटक पदार्थ बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है **(कुल 05)** । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 17.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी साबिर अली की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1. फरजाना पत्नी मोहम्मद नूरआलम 2. मोहम्मद मनव्वर पुत्र मोहम्मद नूरआलम निवासीगण यमुना विहार दिल्ली द्वारा वादी की माता की पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी करके कुछ व्यक्तियों को उक्त जमीन के कुछ हिस्से को अवैध रूप से बेचकर कब्जा करा देना व कोई भी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/329(3)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. फरजाना व 2. मोहम्मद मनव्वर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1. आतिफ हसन पुत्र नूर आलम 2. माजिद अली पुत्र सादक अली 3. अकरम पुत्र आरिफ समस्त निवासीगण ग्राम पावी साकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आने पर उपरोक्त के नाम की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

तत्पश्चात दिनांक 01.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. माजिद अली पुत्र सादक अली निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष 2. अकरम पुत्र आरिफ निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र कर वादी की माता जी के पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी करके उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था तथा उपरोक्त भूमि के कुछ हिस्से को अवैध रूप से बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. माजिद अली पुत्र सादक अली निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।
2. अकरम पुत्र आरिफ निवासी ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता -

आतिफ हसन पुत्र नूर आलम निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त माजिद अली के विरूद्ध पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर बलवा का 01 अभियोग, जान से मारने की धमकी देने का 01 अभियोग, धोखाधड़ी के 03 अभियोग पंजीकृत है **(कुल 06)**। अभियुक्त अकरम के विरूद्ध पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर बलवा का 01 अभियोग, धोखाधड़ी के 03 अभियोग पंजीकृत है (**कुल 05)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली, ऑनलाइन पोर्टलों एवं नागरिक सेवाओं के प्रभावी संचालन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

पुलिस आयुक्त, महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में आज दिनांक 02.08.2026 को पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत सभागार में विभिन्न विषयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग प्रणाली, ऑनलाइन पोर्टलों एवं नागरिक सेवाओं के प्रभावी संचालन हेतु प्रशिक्षित करना था। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त सर्किल के सहायक पुलिस आयुक्त, समस्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के वाचक, समस्त जोनल पुलिस उपायुक्त के वाचक तथा समस्त सहायक पुलिस आयुक्त के वाचक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला में NATGRID, ID Creation, Case Creation, CM Dashboard, 60-90 दिवस विवेचना निस्तारण, SSO Portal, E-Sakshay, E-Summon, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की कार्यवाही, CCTNS/Citizen Service Portal, IIF- Forms, IGRS, मिशन शक्ति केंद्र तथा यक्ष एप से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को विभिन्न पोर्टलों के प्रभावी संचालन, समयबद्ध डेटा अद्यतन, नागरिक सेवाओं के त्वरित निस्तारण तथा डिजिटल तकनीकों के बेहतर उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण के अंत में अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध श्री पीयूष कुमार सिंह के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित पुलिस कार्मिको को निर्देशित किया गया कि सभी डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस कर्मियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने तथा स्मार्ट एवं उत्तरदायी पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 01.08.2026 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री उम्र 16 वर्ष को कार में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाकर गलत काम करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा-**70(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दो पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.08.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में सलिप्त अभियुक्त की सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इनपुट एवं मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चौकी क्षेत्र कस्बा मसूरी देहरा रोड से गिरफ्तार किया गया, घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर जब्त की गयी तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 27.07.26 को मुजाहिद की गाडी से रात्रि में 22.00 बजे के करीब घूमने निकले थे जैसै ही नाजिया अस्पताल के सामने पहुंचे तो एक लडकी खडी हुई दिखाई दी, मन में बदनीयती आ गयी और उसे गाडी में बैठाकर कही अज्ञात स्थान पर ले जाने की सोची फिर बहाने से उसको गाडी में बैठाया और गाडी में बैठाकर उसके साथ बातें करते हुए अज्ञात स्थान पर ले गया तथा गलत काम किया उसके बाद लडकी ने कहा कि मैं यह बात अपने घर बताऊंगी तो उसको वहीं छोडकर गाडी लेकर भाग आये, आज इस गाडी से अपने वकील के पास जा रहे थे कि किसी ने हमारी मुखबिरी कर दी और पुलिस ने हमें गाडी सहित पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.मुजाहिद पुत्र बुन्दु निवासी आजमपुर देहपा थाना पिलखुवा जिला हापुड, उम्र करीब 45 वर्ष
2.सलीम अख्तर पुत्र अख्तर हुसैन निवासी आजमपुर देहपा थाना पिलखुवा जिला हापुड, उम्र करीब 48 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।